रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 110] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 31, 1986/चैत्र 10, 1908
No. 110] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 31, 1986/CHAITRA 10, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1986

आदेश

का. आ. 144(अ)/18क/उ.वि.वि.अ./86.—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 157(अ)/18क/उ. वि. वि. अ./79, तारीख 27 मार्च, 1979, द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) कलकत्ता स्थित मैसर्स लिली बिस्कुट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, और मैसर्स लिलि बारले मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, नामक औद्योगिक उपक्रमों का प्रबन्ध 27 मार्च, 1979 से तीन वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण किया गया था और सचिव, श्रम और बन्द उद्योग विभाग, जिसे अब औद्योगिक पुनर्निर्माण विभाग, कहा जाता है पश्चिमी बंगाल सरकार को "प्राधिकृत नियंत्रक" के रूप में नियुक्त किया गया था;

और केन्द्रीय सरकार ने, अपनी यह राय होने पर कि लोकहित मे यह समीचीन है कि उक्त आदेश का प्रभाव पूर्वोक्त तीन वर्ष की अवधि समाप्ति के पश्चात् जारी रहे 31 मार्च, 1986 तक की, जिसमे यह तारीख भी सम्मिलित है और अवधि के लिए जारी रहने के लिए समय-समय पर निर्देश जारी किए थे। (देखिए भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 178 (अ)/18क/उ.वि.वि.अ./84, तारीख 28 जून; 1984 और सं. का. आ. 688(अ)/18क/उ. वि.वि.अ./82, तारीख 25 सितम्बर; 1982, सं. का. आ. 384(अ)/18क/वि.वि.अ./83, तारीख 31 मई, 1983; सं. का. आ. 936 (अ)/18क/उ.वि.वि.अ./83, तारीख 29 दिसम्बर, 1983; सं का. आ. 469(अ)/18क/उ.वि.वि.अ./84, तारीख 28जून, 1984, स.का.आ. 967 (अ)/18क/उ.वि.वि.अ./84, तारीख 28 दिसम्बर, 1984 और सं. का. आ. 280(अ)/18क/उ. वि.वि.अ./85, तारीख 30 मार्च, 1985);

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित मे यह समीचीन है कि उक्त आदेश 31 मार्च, 1987 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए प्रभावी बना रहे ।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-क की उप-धारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि तारीख 27 मार्च, 1979 का उक्त आदेश 31 मार्च, 1987 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा ।

[फा. सं. 2(3)/80-सी. यू. एस.]
ए. पी. सरवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 31st March, 1986

ORDER

S.O. 144(E)|18A|IDRA|86.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 157(E)|18A|IDRA|79, dated the 27th March, 1979 (hereinafter referred to as the said Order), the management of industrial undertakings known as Messrs Lily Biscuit Company (Private) Limited and Messrs Lily Barley Mills (Private) Limited, both located at Calcutta, had been taken over for a period of three years with effect from the 27th March, 1979 and the Secretary to the Government of West Bengal in the Department of Sick and Closed Industries now known as Department of Industrial Reconstructions, Calcutta was appointed as "Authorised Controller".

And, whereas, the Central Government being of opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect after the expiry of the period of three years aforesaid, had issued directions from time to time, for such continuance for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1986 (vide Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) Nos. S.O. 178(E)|18AA|IDRA|82, dated 26th March, 1982; S.O. 688(E)|18A|IDRA|82 dated the 25th September, 1982; S.O. 384(E)|18A|IDRA|83, dated the 31st May, 1983; S.O. 936(E)|18A|IDRA|83 dated the 29th December, 1983; S.O. 469(E)|18A|IDRA|84, dated the 28th June, 1984; S.O. 967(E)|18A|IDRA|84, dated the 28th December, 1984 and S.O. 280(E)|18A|IDRA|85 dated the 30th March, 1985) ;

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1987.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order dated the 27th March, 1979 shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1987.

[File No. 2(3)|80-CUS.]

A. P. SARWAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986